न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

ासीन अधिकारीः– अनूप सिंह (आरoएoएसo)

मुoनo	ताoरजू	निर्णय दिनांक
32/2019	14.11.2019	10/02/2025

1. शंकर पुत्र विशन्या जाति मीना पेशा काश्त निवासी ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर
2. केदार पुत्र हजारी जाति मीना पेशा काश्त ।
3. जम्बू पुत्र हजारी जाति मीना पेशा काश्त ।
   निवासीयान ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर ।
4. श्रीमति गीता पुत्री हजारी पत्नी हरगोविन्द जाति मीना पेशा काश्त निवासी ससुराल ग्राम नीदडदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर पैत्रिक ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5. श्रीमति जमना पुत्री हजारी पत्नी रामनाथ जाति मीना पेशा काश्त निवासी ससुराल ग्राम अजनोटी तहसील व जिला सवाई माधोपुर पैत्रिक ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर ।
6. श्रीमति गन्दोडी पुत्री हजारी पत्नी आशाराम जाति मीना पेशा काश्त निवासी ससुराल ग्राम दुबबी तहसील व जिला सवाई माधोपुर पैत्रिक ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर ।
7. प्रभु पुत्र कवरया जाति मीना पेशा काश्त निवासी ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर ।
8. आशाराम पुत्र मड्या जाति मीना पेशा काश्त ।
9. रामफूल पुत्र मड्या जाति मीना पेशा काश्त ।
10. श्रीमति कुन्नी पत्नी स्वर्गीय मड्या जाति मीना पेशा काश्त ।
    निवासीयग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर ।
11. ब्रडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुश्तला, सवाई माधोपुर जरिये शाखा प्रबंधक महोदय ।

अप्राथी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट</u>

स्थितः–

1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता प्रार्थी की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

:– निर्णय –:

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 0आर0एक्ट0 पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी एवं र्थीगण संख्या 2 लगायत 10 एक ही ग्राम मूलतः मुई के निवासीयान होकर श्तकार पेशा व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 10 मृतक कंवरया के वंशज है, समें अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 मृतक कंवरया के पुत्र मृतक हजारी के पुत्र एवं त्रयाँ है, उसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 07 प्रभु मृतक कंवरया का पुत्री है तथा अप्रार्थी ख्या 8 व 9 मृतक कंवरया के पुत्र मृतक मड्या के पुत्रान् है एवं अप्रार्थी संख्या मृतक मड्या की पत्नी है। ग्राम मुई तहत तहसील सवाई माधोपुर में मृतक वरया व प्रार्थी शंकर की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि साबिक खसरा बर 1309 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। ग्राम मुई सहित तहसील सवाई धोपुर के समस्त ग्रामों में आज से करीब 20 वर्ष पूर्व नवीन सेटलमेंट सम्पन्न हो का है, जिसमें इस भूमि के नवीन खसरा नम्बरान 1324 रकबा 0.53 हेक्टेयर, सरा नम्बर 1324 /2681 रकबा 2.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1324/2680 रकबा 53 हेक्टेयर, 1324/2650 रकबा 0.53 हेक्टेयर, 1324/2839 रकबा 0.54 हेक्टेयर है जिसमें खसरा नम्बर 1324 सम्पूर्ण की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 नाम दर्ज हुई है तथाखसरा नम्बर 1324 / 2681 सम्पूर्ण की खातेदारी प्रार्थी कर के नाम दर्ज हुई है, उसी प्रकार खसरा नम्बर 1324 /2680 सम्पूर्ण की तेदारी अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 10 के नाम दर्ज हुई है, खसरा नम्बर 1324 / 50 सम्पूर्ण की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 07 प्रभु के नाम दर्ज हुई है व खसरा म्बर 1324 / 2839 सम्पूर्ण की खातेदारी सिवायचक दर्ज हुई है। सेटलमेंट वालो सेटलमेंट में उक्त भूमि नवीन खसरा नम्बरान के खातेदारी का इन्द्राज पक्षकारान ा अपने पूर्वजो के समय से ही मौके पर चले आये कब्जे काश्त के अनुसार क्षकारान के नाम न कर गलत व नाजायज रूप से एक दूसरे के नाम दर्ज कर देया। जबकि मौके पर कब्जे के अनुसार ही खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिए था। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1324/2681 रकबा 2.12 हेक्टेयर सम्पूर्ण की खातेदारी गलत एवं नाजायज रूप से प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी जबकि यह सम्पूर्ण भूमि 2.12 हेक्टेयर प्रार्थी के कब्जे काश्त की नहीं होकर बल्कि इस भूमि में बीच का भाग 1.05 हेक्टेयर ही प्रार्थी के कब्जे काश्त का है व ऊपर का अर्थात् उत्तर की तरफ का 0.53 हेक्टेयर भाग अप्रार्थीगण 2 लगायत 6 के कब्जे काश्त का है एवं नीचे का अर्थात् दक्षिण का भाग 0.54 हेक्टेयर शुरू से ही सिवायचक रहा है। उसी प्रकार खसरा नम्बर 1324 रकबा 0.53 हेक्टेयर सम्पूर्ण प्रार्थी के कब्जेकाश्त व

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
धोपुर

Scanned with OKEN Scanner

मित्व की भूमि रही है जिसे गलत एवं नाजायज रूप से सेटलमेंट वालों ने अप्रार्थी या 2 लगायत 6 के नाम गलत दर्ज कर दिया उसी प्रकार खसरा नम्बर 4/2839 रकबा 0.54 हेक्टेयर भी शुरू से ही प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व भूमि रही है, जिसे सेटलमेंट वालों ने गलत व नाजायज रूप से सिवायचक कार दर्ज कर दिया । मौके पर सभी पक्षकारान अपने बुजुर्गों के समय से ही ने–अपने कब्जे काश्त की भूमि पर आज दिन तक काबिज चले आये है। प्रार्थी नम्बर 3 में किये गये वर्णन के अनुसार अपने कब्जे काश्त की भूमि पर शुरू से आज दिन तक काबिज चला आया है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 10 आपस में बंध होने के कारण उन्होंने अपनी भूमि को एक–दूसरे से भी परिवर्तन कर रखी सेटलमेंट विभाग द्वारा रिकोर्ड की उक्त गलती गलत व नाजायज रूप से तथा का स्थिति के बिल्कुल विपरित की है यदि उनके द्वारा मौका निरीक्षण कर नक्शा स के अनुसार ही जमाबंदी में इन्द्राज किया जाता तो उक्त त्रुटि नहीं होती। प्रार्थी शिक्षित होने के कारण उसे सेटलमेंट के समय इस त्रुटि की जानकारी नहीं हो ई थी ओर न ही पक्षकारान ने कभी एक दूसरे के कब्जे काश्त में कोई बाधा त्पन्न की है इस कारण रिकोर्ड दिखाने की भी आवश्यकता नहीं पडी तथा प्रार्थी परोक्तानुसार अपने कब्जे काश्तकी भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आया है। सी प्रकार अप्रार्थीगण की मौके अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज चले आये । आज से करीब छः माह पूर्व प्रार्थी जब पटवारी हल्का के पास अपनी कृषि भूमि ो जमाबंदी, नक्शा ट्रेस आदि की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि म्हारी सबकी जमाबंदिया नक्शा ट्रेस के अनुसार नहीं है बल्कि एक–दूसरे के नाम ल्टे–सुल्टे नम्बर दर्ज हो रहे है। इस पर प्रार्थी ने पटवारी के समक्ष ही उनसे क्शा ट्रेस से मिलान करवाया तो सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई उक्त त्रुटि की जानकारी हुई अर्थात् गलत एवं नाजायज रूप से व मौके स्थिति के विपरित जाकर मौके पर प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बरान 1324 रकबा 0.53 हेक्टेयर को प्रार्थी के नाम दर्ज न कर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम दर्ज की हुई है तथा खसरा नम्बर 1324/2839 रकबा 0.54 हेक्टेयर को भी प्रार्थी के नाम दर्ज न कर सिवायचक दर्ज कर दिया एवं उसी प्रकार ख[illegible] न[illegible] 1324/2681 को गलत व अवैध रूप से सम्पूर्ण 2.12 हेक्टेयर को [illegible] कर दिया जबकि इसमें बीच का 1.05 हेक्टेयर भाग ही प्रार्थी के कब्जे काश्त का है तथा प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिए था । प्रार्थी ने पटवारी हल्का महोदय से व भू–अभिलेख विभाग से उक्त समस्त भूमि का रिकोर्ड निकलवाया तथा इसके बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर
धोपुर

Scanned with OKEN Scanner

ीने पटवारी हल्का से सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने कई बार निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने काफी समय निकालने के बाद सीलदार जी महोदय से निवेदन कर आदेश लाने के लिए कहा इसके बाद प्रार्थी बार तहसीलदार जी महोदय, सवाई माधोपुर के समक्ष भी गया तथा रिकोर्ड दुरूस्त करने हेतु लिखित एवं मौखिक रूप से निवेदन किया लेकिन उन्होंने ले तो विशेष ध्यान नहीं दिया तथा आज से पांच दिन पूर्व बताया कि 136 में र्यवाही करके आदेश लाने पर ही सेटलमेंट की यह त्रुटि दुरूस्त की जा सकती जिस कारण प्रार्थी के लिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय में पेश करना वश्यक हुआ । तहसील सवाई माधोपुर में आज से करीब 20 वर्ष पूर्व ही नवीन टलमेंट सम्पन्न हो चुका है तथा सेटलमेंट की समस्त शक्तियाँ सेटलमेंट विभाग हटकर जिला कलेक्टर महोदय/ उपजिला कलेक्टर महोदय व तहसीलदार जी ोदय को प्राप्त हो चुकी है तथा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने का अधिकार धारा 6 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत श्रीमान् के न्यायालय को है। जमाबंदी कोर्ड में खसरा नम्बर 1324 / 2681 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शतला के नाम रहन का इन्द्राजइसलिए उन्हें भी इस प्रार्थना पत्र में बतौर अप्रार्थी ख्या 11 फोरमल पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश र निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पात्र स्वीकार फरमाया जाकर सेटलमेंट से जवाना सुन विभाग द्वारा जमाबंदी रिकोर्ड में की गई त्रुटि को दुरूस्त करते हुए सरा नम्बर 1324/2681 रकबा 2.12 हेक्टेयर वाके ग्राम मुई का प्रार्थी के नाम ये खातेदारी इन्द्राज को हटाकर उसमें उत्तर दिशा की तरफ के 0.53 हेक्टेयर ाग को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम व दक्षिण की तरफ के 0.54 हेक्टयर ो सिवायचक के नाम तथा शेष बचे हुए बीच का भाग 1.05 हेक्टेयर मात्र को ही ार्थी के नाम खातेदारी इन्द्राज दर्ज करने व उसी प्रकार खसरा नम्बर 1324 रकबा .53 हेक्टेयर को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम दर्ज खातेदारी इन्द्राज से टाया जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी का इन्द्राज दर्ज करने तथा खसरा नम्बर 1324 / 2839 रकबा 0.54 हेक्टेयर के इन्द्राज को सिवायचक से हटाया जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी का इन्द्राज किये जाने का ... फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वाके ग्राम मुई के काश्तकार पेशा व्यक्ति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:38:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बिक खसरा नंबर 1309 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी 2 संलग्न
ाबंदी चौसाला छायाप्रति सम्वत 2039–42 के खाता संख्या 208 के अनुसार
ारी सावल्या मडया प्रभु पि0 कंवरया श्योजी पुत्र गोपी मीना हि0 बराबर हि0
2 शंकर पुत्र विशन्या हि0 1/2 जाति मीना सा0 देह के नाम सह खातेदारी
रिकार्ड थी। सेटलमेंट प्रकिया के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा नकल तुलनात्मक
फल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 1309 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा के नवीन
सरा नंबर 1324/2839 रकबा 0.54, खसरा नंबर 1324/2650 रकबा 0.53, खसरा
र 1324/2680 रकबा 0.53 है0, खसरा नंबर 1324/2681 रकबा 2.12 व खसरा
र 1324 रकबा 0.53 है0 किता 5 रकबा 4.25 है0 बने है। लेकिन सेटलमेंट विभाग
रा सेटलमेंट प्रकिया के दौरान सहवन से खसरा नंबर 1324/2839 रकबा 0.54
सिवायचक अंकित कर दी गई है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ
है तथा खसरा नंबर 1324/2650 रकबा 0.53 है0 1324/2680 रकबा 0.53
ता 2 रकबा 1.06 है0 में से 0.53 है0 सावल्या पुत्र कवरया मीना सा0 देह पश्चिमी
शा की ओर 0.53 पर आशाराम प्रभु पि0 हजारी मीना का कब्जा काश्त है एवं
सरा नंबर 1324/2681 रकबा 2.12 में से 0.53 है0 पर दक्षिणी दिशा की ओर
शाराम प्रभु पि0 हजारी का कब्जा काश्त है। नकल साबिक जमाबंदी के अनुसार
बिक खसरा नंबर 1309 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड
लेकिन भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त खसरा नंबर से बने नवीन खसरा नंबर
324/2839 रकबा 0.54 है0 को वर्तमान रिकार्ड से सिवायचक कर सावल्या पुत्र
वरया मीना के नाम की भूमि को हजफ कर दिया गया। उक्त आराजी खसरा
बर 1324/2839 रकबा 0.54 है0 पर शुरू से ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली
ा रही है। बिंदु संख्या 3 से 9 तक माननीय न्यायालय से संबंधित है। प्रार्थी के
ाम अंकित खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1324/2681 रकबा 2.12 है0 कब्जे
काश्त के अनुसार भिन्नता होने से दुरूस्त करने के लिए उक्त आराजी के उत्तर
दिशा की तरफ 0.53 है0 भाग को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम दर्ज को
हजफ कर प्रार्थी के नाम इंद्राज करने तथा खसरा नंबर 1324/2839 रकबा 0.54
है0 जो सिवायचक दर्ज है को हजफ कर प्रार्थी के नाम इंद्राज करने एवं सावल्या
पुत्र कवरया मीना के उत्तराधिकारियों को शामिल करते हुए खसरा नंबर
1324/2681 के दक्षिणी दिशा में 0.54 है0 भूमि का तथा शेष बचे हुये बीच का
भाग 1.05 है0 को प्रार्थी के नाम खातेदारी नियमानुसार इंद्राज करना बताया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2023.09.11 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

ा कलेक्टर
 माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 10 एक ही ग्राम मूलतः मुई के सीयान होकर काश्तकार पेशा व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 10 मृतक रया के वंशज है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 मृतक कंवरया के पुत्र क हजारी के पुत्र एवं पुत्रियाँ है, उसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 07 प्रभु मृतक कंवरया पुत्री है तथा अप्रार्थी संख्या 8 व 9 मृतक कंवरया के पुत्र मृतक मड्या के पुत्रान् एवं अप्रार्थी संख्या 10 मृतक मड्या की पत्नी है। ग्राम मुई तहत तहसील सवाई ोपुर में मृतक कंवरया व प्रार्थी शंकर की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि बेक खसरा नम्बर 1309 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। ग्राम मुई सहित सील सवाई माधोपुर के समस्त ग्रामों में आज से करीब 20 वर्ष पूर्व नवीन लमेंट सम्पन्न हो चुका है, जिसमें इस भूमि के नवीन खसरा नम्बरान 1324 बा 0.53 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1324 /2681 रकबा 2.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 24/2680 रकबा 0.53 हेक्टेयर, 1324/2650 रकबा 0.53 हेक्टेयर, 1324/2839 बा 0.54 हेक्टेयर बने है जिसमें खसरा नम्बर 1324 सम्पूर्ण की खातेदारी अप्रार्थी ख्या 2 लगायत 6 के नाम दर्ज हुई है तथाखसरा नम्बर 1324 / 2681 सम्पूर्ण खातेदारी प्रार्थी शंकर के नाम दर्ज हुई है, उसी प्रकार खसरा नम्बर 1324 2680 सम्पूर्ण की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 10 के नाम दर्ज हुई है, सरा नम्बर 1324 / 2650 सम्पूर्ण की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 07 प्रभु के नाम र्ज हुई है व खसरा नम्बर 1324 / 2839 सम्पूर्ण की खातेदारी सिवायचक दर्ज ई है। सेटलमेंट वालो ने सेटलमेंट में उक्त भूमि नवीन खसरा नम्बरान के खातेदारी इन्द्राज पक्षकारान का अपने पूर्वजो के समय से ही मौके पर चले आये कब्जे श्त के अनुसार पक्षकारान के नाम न कर गलत व नाजायज रूप से एक दूसरे नाम दर्ज कर दिया। जबकि मौके पर कब्जे के अनुसार ही खातेदारी में दर्ज कया जाना चाहिए था। यह प्रार्थना पात्र स्वीकार फरमाया जाकर सेटलमेंट से ाजवाना सुन विभाग द्वारा जमाबंदी रिकोर्ड में की गई त्रुटि को दुरूस्त करते हुए खसरा नम्बर 1324/2681 रकबा 2.12 हेक्टेयर वाके ग्राम मुई का प्रार्थी के नाम ये खातेदारी इन्द्राज को हटाकर उसमें उत्तर दिशा की तरफ के 0.53 हेक्टेयर ाग को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम दक्षिण की तरफ के 0.54 हेक्टयर को सिवायचक के नाम तथा शेष बचे हुए बीच का भाग 1.05 हेक्टेयर मात्र को ही ार्थी के नाम खातेदारी इन्द्राज दर्ज करने व उसी प्रकार खसरा नम्बर 1324 रकबा 0.53 हेक्टेयर को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम दर्ज खातेदारी इन्द्राज से

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

…ा कलेक्टर
…ई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

या जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी का इन्द्राज दर्ज करने तथा खसरा नम्बर 4 / 2839 रकबा 0.54 हेक्टेयर के इन्द्राज को सिवायचक से हटाया जाकर र्थी के नाम खातेदारी का इन्द्राज किये जाने का आदेश फरमाये जाने की कृपा ।

पत्रावली में वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध गर्ड का अवलोकन किया। राजस्व ग्राम मुई के साबिक खसरा नम्बर 1309 रकबा बीधा 16 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके नवीन खसरा नम्बरान 1324 रकबा 0.53 टेयर, खसरा नम्बर 1324 /2681 रकबा 2.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1324/2680 बा 0.53 हेक्टेयर, 1324/2650 रकबा 0.53 हेक्टेयर, 1324/2839 रकबा 0.54 टेयर बने है जिसमें खसरा नम्बर 1324 सम्पूर्ण की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 गायत 6 के नाम दर्ज हुई है तथाखसरा नम्बर 1324 / 2681 सम्पूर्ण की खातेदारी र्थी शंकर के नाम दर्ज हुई है, उसी प्रकार खसरा नम्बर 1324 /2680 सम्पूर्ण खातेदारी अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 10 के नाम दर्ज हुई है, खसरा नम्बर 1324 2650 सम्पूर्ण की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 07 प्रभु के नाम दर्ज हुई है व खसरा बर 1324 / 2839 सम्पूर्ण की खातेदारी सिवायचक दर्ज हुई है। प्रार्थी उक्त र्थना पत्र में खसरा नम्बर 1324/2681 रकबा 2.12 हेक्टेयर वाके ग्राम मुई का र्थी के नाम हुये खातेदारी इन्द्राज को हटाकर उसमें उत्तर दिशा की तरफ के 0. हेक्टेयर भाग को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम व दक्षिण की तरफ के 0. हेक्टयर को सिवायचक के नाम तथा शेष बचे हुए बीच का भाग 1.05 हेक्टेयर त्र को ही प्रार्थी के नाम खातेदारी इन्द्राज दर्ज करने व उसी प्रकार खसरा नम्बर 324 रकबा 0.53 हेक्टेयर को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम दर्ज खातेदारी न्द्राज से हटाया जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी का इन्द्राज दर्ज करने तथा खसरा म्बर 1324 / 2839 रकबा 0.54 हेक्टेयर के इन्द्राज को सिवायचक से हटाया जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है। परन्तु प्रकरण का अवलोकन रने तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट में यह स्पष्ट नही किया गया है खसरा नम्बर 1324/2839 रकबा 0.54 हैक्0 ... खातेदारी रही तथा खसरा म्बर 1324/2681 रकबा 2.12 हैक्0 मे से 0.53 ... में सिवायचक रही हो। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कोई ... नही किया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना ... धारा 136 एलआरएक्ट में पेश किया गया। धारा 136 एलआरएक्ट का दायरा छोटा होता है जिसमें केवल तकनीकी त्रुटि ही शुद्ध की जा सकती है। प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती तथा राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

कार्ड जमाबंदी व नक्शे में शुद्व किये जाने का है जिसको गबाह/साक्ष्य/सबूतो आधार पर ही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट के न्तर्गत नही आने के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है।

:— कियात्मक आदेश —:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 लआरएक्ट खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10/02/2025 को मेरे रा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार कर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner